



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के द्वारा आपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभि० गण को आजीवन कठोर कारावास व 10,000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 11/02/2012 को वादी द्वारा दाखिला तहरीर के आधार पर थाना सि०ला० पर मु०अ०स०-634/2012 धारा-302/34,120बी भादवि व 3(2) (v) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1.अशोक कुमार पुत्र श्री मंगूलाल नि० बाजार गंज निकट वन चौकी पुवाया रोड कस्बा व थाना मौहम्मदी जिला खीरी लखीमपुर 2.अशोक कुमार यादव पुत्र श्री रामसरन यादव नि०मौ०बाजार गंज थाना मौहम्मदी जनपद खीरी लखीमपुर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक 03.11.2023 को मा० स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट, रामपुर द्वारा अभि० गण 1.अशोक कुमार 2.अशोक कुमार यादव उपरोक्त को आजीवन कठोर कारावास व 10,000-10,000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

- 1.अशोक कुमार पुत्र श्री मंगूलाल नि० बाजार गंज निकट वन चौकी पुवाया रोड कस्बा व थाना मौहम्मदी जिला खीरी लखीमपुर। आजीवन कठोर कारावास व 10,000 रु अर्थदण्ड
- 2.अशोक कुमार यादव पुत्र श्री रामसरन यादव नि०मौ०बाजार गंज थाना मौहम्मदी जनपद खीरी लखीमपुर। आजीवन कठोर कारावास व 10,000 रु अर्थदण्ड

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.अशोक कुमार पुत्र श्री मंगूलाल नि० बाजार गंज निकट वन चौकी पुवाया रोड कस्बा व थाना मौहम्मदी जिला खीरी लखीमपुर
- 2.अशोक कुमार यादव पुत्र श्री रामसरन यादव नि०मौ०बाजार गंज थाना मौहम्मदी जनपद खीरी लखीमपुर

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ आपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु जनपद रामपुर के महत्वपूर्ण अभियोगों में चिन्हित किये गये थे।